सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00074

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
   मै0 मोबाईल दूध विक्रेता, लालगढ जाटान, जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :– वार्ड नम्बर 27, लालगढजाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2)/51

निर्णय **दिनांक : 11.09.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.08.2018 को दोपहर 10.30 बजे श्री लेखराज पुत्र श्री तुलसीराम, हेल्पर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ वास्ते निरीक्षण, लालगढ छावनी क्षेत्र गेट नम्बर 2, के पास पहुचे। वहां पर श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई वाहन नम्बर आर.जे.13–एस.एम.–7424 मोटरसाईकल मय दूध की चार केन के साथ उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उपरोक्त केनो का निरीक्षण किया तो लगभग 120 लीटर दो केनों में हीरो मोटरसाईकिल पर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था । मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **के–917** के नमूनीकरण के लिए दूध को दूध मापक से अच्छी तरह हिला मिला कर एक रूप करके इसमें से 2 लीटर **मिक्स दूध** खरीदा। जिसकी कीमत 60/–रूपये (अखरे साठ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान **श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई** के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **मिक्स दूध** विक्रेता **श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई** एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्स दूध** को बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलों में डालकर व फार्मेलीन की 40–40 बूदें डालकर ढक्कन बंद किया एवं टेप चिपका कर चार चमूने भाग बनाऐ। चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–917** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–917** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1410/एक्ट/2018/83 दिनांक 06.09.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–917 मिक्स दूध अमानक स्तर SUBSTANDARD** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई **मै0 मोबाईल दूध विक्रेता**, लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मिक्स दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26(2)(2)/51** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 16.08.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **मिक्स दूध** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने **मिक्स दूध** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00074

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मिक्स दूध का सैम्पल **के–917** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1410/एक्ट/2018/83 दिनांक 06.09.2018 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवंम मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2) का उल्लंघन है तथा जुर्मान योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में वर्णित है। साथ ही उपलब्ध कागजात के आधार पर नमूना विक्रेता एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आते है। अतः उक्त विक्रेता पर जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **मिक्स दूध** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने **मिक्स दुध** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 11.09.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किय। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **मिक्स दूध** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र लालचन्द नाई (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर **Food Safety and Standards (FOOD PRODUCTS STANDARDS AND FOOD ADDITIVES) Regulaations 2011** के तहत **मिक्स दूध** का विक्रय करने पर धारा 26**(2)(2)/51** के तहत 5000/–रूपये (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है जो उसके द्वारा चालान नम्बर 33292215 दिनांक 11.09.2019 द्वारा जमा करवा दी गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गाय का दूध का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर